प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग– 3 लखनऊः दिनांक दिसम्बर, 2025

विषयः विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के जागरूकता हेतु विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या J-11015/02/2025-RE/V दिनॉक 21 दिसम्बर, 2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकसित भारत@2047 के दृष्टिगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के स्थान पर ''विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G Act, 2025 पास किये जाने से अवगत कराते हुए अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 26 दिसम्बर, 2025 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– ग्रामीण विकास, आजीविका, सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित् किए जाने के उद्देश्य से संचालित ''विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के व्यापक प्रचार–प्रसार (बैठक का एजेंडा एवं प्रचार–प्रसार सामग्री संलग्न) हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में निम्नांकित कार्यवाही की जानी आपेक्षित हैः–

(1) 26 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा का आयोजन।

(2) ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, कर्मचारियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति घरों और संवेदनशील समूहों की सक्रिय भागीदारी।

(3) ग्राम सभा की कार्यवाही का दस्तावेजीकरण।

(4) पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से ग्रामसभा के विवरण/कार्यवाहियों की जीओ टैग फोटो/वीडियो को अपलोड किया जाना।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समयावधि में ग्राम सभा के आयोजन एवं कार्यवाही के विवरण को पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 23-12-2025
19:24:46

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को ग्राम सभा के आयोजन का विवरण पंचायत निर्णय एप पर अपलोड करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 24-12-2025
10:42:08

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।